

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तरायण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संस्थक / नॉडल अधिकारी,
वन भूमि हरानगर, इन्दूरा नगर,
फारेस्ट कालेजी देहसदून।

वन एवं पर्यावरण अनुबंध-४

देहरादून: दिनांक: २७ मई, २०१५

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में खूंट-काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सिद्धपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.८८२, हेठो सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण पिंडांग यों प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३२१४/१३ी-FP/UK/ROAD/1153४/२०१५ विनांक ५८ पर्द, २०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेद्य हआ है कि श्री राज्यपाल भवीत जनपद-अल्मोड़ा में खूंट-काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सिद्धपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.८८२, हेठो सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण पिंडांग यों प्रत्यावर्तन करने की सैक्षानिक स्तीण्डरी भारत संसद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०न०३-११-०९/४४-एफ० सी० दिनांक ०७ नवम्बर, २०१४ एवं पत्र संख्या एफ०न०३-११-०९/४४-एफ० सी० ०८० दिनांक १३ करवरी, २०१४ में निहित प्रादर्शानां द्वारा प्रदत्त प्राथिकार का प्रयोग करते हुए अधीलिखित शर्तों/प्रतिवर्तनों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित रथव के आस-पास रिक्त पर्दे रथानां पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रथवर्खाद हेतु आवश्यक घनतारणि (दर्तमान वेतन दरों को सम्भालित करने हेतु यथासंभवित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाजनीय उल्लंघन न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत आई०ए०स०-५६६ एवं मारत सरकार पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०६.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आवद का यथनमद्दत प्रत्युष करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो वही हुई घनतारणि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
- भारत सरकार पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० पर्द दूसरी सभी निर्धारित प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राथिकारण के लेखा सं०-एस०वी०-२५२२७ कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), इलाक-११ भूतले री०जी०ओ० काम्पलैंक्स, फेज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा की जाएंगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गण उत्तरम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत आई०ए०स०-५६६ एवं मारत सरकार पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०६.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निर्धारित प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राथिकारण के तर्फ निकाय का पारोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), इलाक-११ भूतले री०जी०ओ० काम्पलैंक्स, फेज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पारोरेशन की घायाप्रति, जमा की गई घनतारणि का बैंक ड्राफट/बैंक की घायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई घनतारणि का मद्वार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, अतिपूरक पौधरोपण प्रस्तावित रथव के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु उमा घनतारणि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत रवीकौते गान्य होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यस्थल की सम्मुखियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुवारों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में शाज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरसन करने का आवेकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन आविकार अधिनियम-2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्मत की जायेगी।

भवदीय,

(पीठेपानी)

वनस्पति

संख्या: ३६१ (१) / X-४-१५/१(१८९)/२०१५, तदनिर्दित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संस्करक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, एफआरआई, आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालोकाकार, लोखा एवं हकनारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संस्करक उत्तरी बुमारैं वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय कनाधिकारी, अल्मोड़ा वन इमार, अल्मोड़ा।
7. अधिकारी अधियंता, प्राठ०५०, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय गूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिषर, देहरादून को इस आसाय से प्रेषित कि कृपया इस जास्तादेश को एनामाईसीट की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)

दृष्ट सचिव।

